



बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सूचना

पत्रांक-04/STA-(विविध)-04/2022 (खण्ड) 7428

पटना, दिनांक- 05.09.2026

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा-3(c-a) के तहत पूर्व में अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग सं०-3119 (बेगुसराय से नवादा, भाया-जीरोमाईल, सिमरिया, बड़हिया, विद्यापीठ, लखीसराय, रामगढ़, हलसी एवं सिकन्दरा) के भाया में जनहित में संशोधन हेतु प्रारूप का प्रकाशन परिवहन विभाग के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/transport> पर निम्नवत् किया जा रहा है :-

बसों के परिचालन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत अधिसूचित मार्ग के भाया में प्रस्तावित संशोधन से संबंधित विवरणी।						
क्र० सं०	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	पूर्व का भाया	मार्ग का संशोधित भाया	मार्ग की दूरी (कि०मी०)	अभियुक्ति
1	3119	बेगुसराय से नवादा	जीरोमाईल, सिमरिया, बड़हिया, विद्यापीठ, लखीसराय, रामगढ़, हलसी एवं सिकन्दरा	जीरोमाईल, सिमरिया, बाढ़, बख्तियारपुर, हरनौत, बिहारशरीफ, गिरियक	139	

यदि उपर्युक्त मार्ग के संशोधित भाया के संबंध में किसी व्यक्ति/वाहन स्वामी को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो सूचना निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना में लिखित रूप में समर्पित/उपलब्ध करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 7428

पटना, दिनांक- 05.09.2026

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 7428

पटना, दिनांक- 05.09.2026

प्रतिलिपि :- आई०टी०, मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।